उ.रेलवे के महाप्रबंधक ने जर्मन रेलवे कॉर्पोरेशन के साथ वेब आधारित सत्र की अध्यक्षता की

कोरोना से निपटने के लिए दुनिया भर की रेलवे अनुभव कर रहीं साझा

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। हमारा राष्ट्र कोविड -19 महामारी के कारण एक अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है; हालांकि, रेलवे जो सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है, वो वर्तमान स्थितियों के अनुसार खुद को ढ़ालते हुये पूरे देश में आवश्यक माल और यात्री यातायात सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

उत्तर रेलवे ने कोविड -19 के विरुद्ध लड़ाई में समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन इस नोवल कोरोना वायरस से निपटने के क्रम में प्रतिदिन नये प्रयोग हो रहे है । कोविड -19 की स्थिति को संभालने में अन्य रेलवे द्वारा प्रयोग की जा रही सर्वोत्तम तकनीकों से सीखने के इरादे से, जर्मन रेलवे कॉरपोरेशन (अ्लेर्पेंह) के विशेषज्ञों के साथ एक वेब संगोष्ठी सह अनुभव साझाकरण सत्र दिनांक 01.09.2020 को आयोजित किया गया। जिसमें जर्मन रेलवे कॉरपोरेशन (अ्लेर्पेंह) के साथ जुड़े श्री फेलिक्स रेजवेस्की (ऐ इार्तें ौव) एवं श्री फेलिक्स उलरिच (ऐ इार्तें ळत्तेम्म्)जैसे वैश्विक विशेषज्ञों

राजीव चौधरी

ने रेलवे संबंधित क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे अपने भारतीय सहयोगियों श्री आशीष गर्ग और श्री सुमंत वत्स के साथ, जर्मन रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा कोविड -19 के दौरान ट्रेनों के कुशल संचालन और रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों को साझा किया ।

महाप्रबंधक उत्तर एवं उत्तर मध्य रेलवे श्री राजीव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस वेबिनार में उत्तर मध्य और उत्तर रेलवे के प्रमुख विभागाध्यक्षों और दोनों रेलवे के मण्डलों के मण्डल रेल प्रबंधकों ने भाग लिया। प्रारम्भिक सत्र में, महाप्रबंधक श्री चौधरी ने कोविड -19 के दौरान रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों को साझा किया और बताया कि उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे दोनों ने न केवल माल और पार्सल परिवहन, श्रमिक स्पेशल चलाने, विशेष ट्रेनों का संचालन आदि जैसे कोर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कई अपरंपरागत और अभिनव कदम उठाए हैं उदाहरण स्वरूप आईसोलेशन कोच, क्वारंटीन केंद्र, कोविड -19 अस्पताल, कार्यालयों और स्टेशनों में किए गए इंतजाम, फेस कवर, सैनिटाइजर, पीपीई कवरॉल आदि का आंतरिक स्रोतो से उत्पादन। उन्होने आगे कहा कि हमें इस अदृश्य शत्रु के साथ कुछ समय तक रहना पड़ सकता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस अनुभव साझाकरण सत्र में रेलवे की दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखें और इसके साथ ही महाप्रबंधक ने वक्ताओं का स्वागत किया। विशेषज्ञों ने कोविड -19 के दौरान परिचालन कर्मचारियों के जोखिम प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम प्रबंधन और कोविड -19 के वित्तीय प्रभाव से निपटने सम्बंधी अनुभव साझा किये।

30 लाख की हेरोइन के साथ महिला सप्लायर अरेस्ट

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल की टीम ने मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाली एक महिला को अरेस्ट किया है। इसकी पहचान मादीपुर निवासी संध्या के रूप में हुई है। पुलिस ने संध्या के पास से बढ़िया क्वालिटी की 200 ग्राम हेरोइन बरामद की है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 30 लाख रुपए है।

डीसीपी क्राइम (नारकोटिक्स) राकेश पावेरिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मादक पदार्थों के सप्लायरों को पकड़ने के लिए एसीपी जेएन झां के सुपरविजन और इंस्पेक्टर राम मनोहर के नेतृत्व में एसआई रवि सैनी, श्याम शरण कांस्टेबल सुमित, सुखबीर और महिला कांस्टेबल सरबजीत की एक टीम गठित की गई। इस टीम को एक इनपुट मिला जिससे पता चला कि संध्या नाम की एक महिला हेरोइन सप्लाई करने के लिए निहाल विहार आएगी। इस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने निहाल विहार में ट्रेप लगाकर महिला को अरेस्ट कर लिया। उसकी पहचान संध्या के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से बढ़िया क्वालिटी की 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके मां-बाप और पति अवैध शराब की सप्लाई का काम करते हैं। उसने बताया कि ज्यादा मुनाफे के लिए उसने मंगोलपुरी के एक शख्स से हेरोइन लेकर आसपास के इलाकों में इसे इस्तेमाल करने वालों को बेचना शुरू कर दिया था। हेरोइन सप्लाई के लिए वह स्कूटी और किराए के ऑटो का इस्तेमाल करती थी।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून से दो सितंबर के बीच करीब दो लाख चालान जारी किए

नई दिल्ली, (वीअ) दिल्ली पुलिस ने 15 जून से दो सितंबर के बीच मास्क नहीं पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में ढाई लाख से अधिक चालान काटे। यह जानकारी बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने दी।

उन्होंने कहा कि इस दौरान 15 पुलिस जिलों में 2,60,991 चालान काटे गए। उल्लंघन करने वालों से जुर्माने के रुप में अब तक कुल 13 करोड़ से अधिक रुपये एकत्र किए गए।

गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से नशीले पदार्थो के तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से ड्रग, अवैध हथियार व नकदी बरामद की। (छाया : एएनआई)।

ग्रेटर नोएडा, (वीआ)। दनकौरक्षेत्र में स्थित स्पोर्ट्स सिटी के नजदीक से दनकौर पुलिस ने कार से गांजा ले जा रहे 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से पुलिस ने करीब 3 लाख रुपये की कीमत का गांजा बरामद किया है। जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। दनकौर पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कोई तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर क्षेत्र में आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम स्पोर्ट्स सिटी के समीप तैनात हो गई। जहां से कार में सवार होकर गुजर रहे एक व्यक्ति को शक होने पर पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। चेकिंग के दौरान उसकी कार से करीब 38 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मेरठ निवासी राजा के रूप में हुई है। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि वह गांजा लाकर उसकी सप्लाई अट्टा गुजरान गांव निवासी अमित और उसके साथी जस्सी को करता है। पुलिस इन दोनों आरोपितों को भी गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

दिल्ली दंगे: अदालत ने शर्जील इमाम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, (विसं)। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शर्जील इमाम को आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने इमाम को संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हुए दंगों के सिलसिले में 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उनके वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले अदालत ने उन्हें तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।इस मामले में पिंजरा तोड़ सदस्य और जेएनयू छात्र देवांगना कालिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों आसिफ इकबाल तन्हा और गुलफिशा खातून, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों सफूरा जरगर, मीरान हैदर, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, पूर्व छात्र नेता उमर खालिद आदि के खिलाफ भी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं। उमर खालिद को अभी तक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पुलिस ने प्राथमिकी में दावा किया था कि उमर और उनके सहयोगियों ने लोगों को क्षेत्र में दंगे शुरू करने के लिए उकसाया था और यह ैपूर्व-निर्धारित साजिशै थी।इमाम को पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक विरोध से संबंधित मामले में 28 जनवरी को भी गिरफ्तार किया गया था।

एमिटी में अंर्तराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन

वीर अर्जुन संवाददाता

नोएडा। छात्रों को कोविड के उपरांत खेल के प्रर्दशन के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के संर्दभ में जानकारी प्रदान करने के लिए एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस सांइसेस द्वारा ''कोविड के उपरांत परिदृश्य में खेल प्रर्दशन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण'' विषय पर अंर्तराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अंर्तराष्ट्रीय वेबिनार में वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एंव ए - गेम की निदेशिका सुश्री संजना किरण, खेल विश्लेषक एंव प्रसारणकर्ता श्री आशीष भारद्वाज, एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस सांइसेस की निदेशिका डा कल्पना शर्मा एंव एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस सांइसेस के श्री राहुल कुमार ने अपने विचार व्यक्त किये।

वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एंव ए - गेम की निदेशिका सुश्री संजना किरण ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल प्रर्दशन से जुड़े मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। किसी भी खिलाड़ी का

मुख्य उददेश्य अपने बेहतरीन खेल प्रर्दशन को प्रस्तुत करना होता है जिसके लिए मानसिक लचीलापन आवश्यक है। मानसिक लचीलेपन के लिए तनाव एंव चिंता से दूरी, आत्म विश्वास और आत्म क्षमता का विकास, ध्यान केंद्रीकरण, प्रोत्साहन, निरंतर प्रर्दशन एंव उपलब्धि का उन्मुखीकरण होना आवश्यक है। सुश्री किरण ने कहा कि हर प्रतियोगिता नई चुनौतियों के साथ आती है। असफलता से बचने के लिए सही उपलब्धि के प्रति उन्मुखीकरण होना महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता की प्रक्रिया का आनंद लें। सुश्री किरण ने कहा कि कोविड ने प्रर्दशन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है और यह प्रभाव सकरात्मक और नकारात्मक भी है। सकारात्मक प्रभाव के अंर्तगत खिलाड़ियों ने इष्टतम प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए, आत्म विश्वास एंव प्रोत्सहित रहते हुए ध्यान केन्द्रीत कर रहे है जो अपने प्रदर्शन को निरंतर बनाते हुए स्वस्थ एंव चोट मुक्त है और प्रदर्शन के लिए तैयार है। नकरात्मक प्रभाव के अंर्तगत खिलाड़ी आत्मविश्वास एंव प्रोत्साहन की कमी, व्याकुल, प्रदर्शन में निरंतरता की कमी, गलत उपलब्धि का उन्मुखीकरण, शारीरिक क्षमता की कमी और चोटिल है जो स्वंय को प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार नही समझते। उन्होनें कहा कि नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह से नही बचा जा सकता है किंतु नुकसान को कम किया जा सकता है। कोविड के उपरांत खेल प्रदर्शन पर कोविड के नकारात्मक प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए आशावादी बनें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। स्थिती को आत्मसात करें, नियंत्रित हो सकने वाले कारकों पर ध्यान केन्द्रीत करें, स्वंय को पुन: खोजें, दिनचर्या को बनायें, मानसिक स्वास्थय को मजबूत करें, स्वस्थ एंव फिट रहें और परिवार के साथ समय व्यतीत करें और अपने शौक को समय दे।

बाटला हाउस मामले में आरोपी ने अदालत में कहा : उसके खिलाफ सबूत गढ़े गए

नई दिल्ली, (विसं)। वर्ष 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के एक कथित आतंकवादी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि उसके खिलाफ सबूत गढ़े गए थे।

करीब एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद आरोपी आरिज खान को फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष के वकील एम एस खान ने कहा कि आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष यह दलील दी।

आरोपी ने यह दावा अंतिम दलीलें दिए जाने के दौरान किया। आरोपी की ओर से पेश वकील खान ने अदालत से कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज की दो तस्वीरों पर भरोसा कर रहा है जो कथित तौर पर एक बटुए और उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र से बरामद किए गए थे।

पुलिस के हत्थे चढ़े दो सेंधमार, साथियों की तलाश जारी

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। उत्तरी जिले की थाना कोतवाली और डिस्ट्रिक्ट लाइन एक्सरे स्टाफ की टीम ने दो सेंधमारों को अरेस्ट किया है। इनकी पहचान राजू उर्फ परवेज और आनंद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक तिजौरी जिसमें 10 हजार रुपए रखे थे, 10 जीन्स की पैंट, सेंधमारी के औजार और एक ऑटो बरामद किया है।

डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फोंस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1/2 सितम्बर की रात को थाना कोतवाली में तैनात एएसआई सुरेश कुमार और कांस्टेबल राजदीप डिस्ट्रिक्ट लाइन एक्सरे स्टाफ के एएसआई विनोद, हैड कांस्टेबल देवेन्द्र और कांस्टेबल अरुण के साथ गीता कॉलोनी फ्लाई ओवर की पिकेट पर तैनात थे। तभी उन्होंने एक ऑटो को संदिग्ध अवस्था में तेजी से आते हुए देखा। शक होने पर पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा दिया लेकिन पहला वेरिकेड पार करते ही ऑटो चालक ने स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास किया लेकिन वहां मौजूद सतर्क पुलिसकर्मियों ने वहां से कुछ दूर रखा बेरिकेड ऑटो के आगे अड़ा कर उसे रोक दिया। ऑटो रुकते ही उसमें बैठे पांचों लोग ऑटो से उतर कर अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। यह देखकर पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और एक युवक को पकड़ लिया जिसकी पहचान राजू उर्फ परवेज के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह प्रसाद नगर की एक दुकान से सेंधमारी करके लौट रहे थे। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी आनंद को भी अरेस्ट कर लिया। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है।

दिल्ली में 2019 में सड़क हादसों में 14 प्रतिशत की कमी आई : एनसीआरबी

नई दिल्ली, (वीअ)। दिल्ली में 2019 में सड़क हादसों में 14 प्रतिशत की कमी आई और 2018 की तुलना में बीते साल सड़क दुर्घटनाओं में 226 कम लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी।

आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 5,601 सड़क हादसे हुए जिनमें।,508 लोग मारे गये और 4,949 अन्य घायल हो गये। जबकि 2018 में 6,517 सड़क दुर्घटनाओं में।,734 लोगों की मृत्यु हो गयी वहीं 5,640 अन्य घायल हो गये।

एनसीआरबी के 2017 के आंकड़े बताते है कि उस साल इन मामलों की संख्या और भी अधिक थी, जब 6,672 दुर्घटनाओं में।,638 लोगों की जान चली गयी और 6,086 लोग घायल हो गये।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने दुर्घटनाओं में मृत लोगों का लिंगवार भी अध्ययन किया है जिसके तहत हादसों में जान गंवाने वालों में महिलाओं से अधिक पुरुष थे और घायलों में भी पुरुष अधिक रहे।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट दिखाती है कि अधिकतर राज्यों में सड़क हादसों में कमी आई है और इस सुधार के पीछे मुख्य वजह नया मोटर वाहन कानून है।

अदालत ने जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली, (विसं)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका यहां एक अदालत ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से प्रदर्शन स्थलों पर तन्हा समेत कई आरोपियों की भूमिका का पता चला है। साथ ही, यह भी पता चला है कि किस तरह से हर चीज की साजिश रची गई थी।

अदालत ने दो सितंबर को जारी किये गए अपने आदेश में कहा कि बयानों से साफ पता चलता है कि आरोपी आसिफ तन्हा और अन्य सह आरोपियों ने साजिश के मुताबिक विभिन्न गतिविधियां की।

नोएडा में दो लोगों ने की आत्महत्या

नोएडा, (वीअ)। उत्तर प्रदेश के नोएडा इलाके के थाना फेस-3 क्षेत्र के सेक्टर 63 में स्थित जूता बनाने की कंपनी में काम करने वाले बिजली मिस्त्री ने देर रात कंपनी के अंदर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। वहीं थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। अपर पुलिस उपायुक्त अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जय प्रकाश (30) नामक व्यक्ति नोएडा के सेक्टर 63 स्थित जूता बनाने वाली एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था। उन्होंने बताया कि कल रात को वह नाइट शिफ्ट में था और आज तड़के उसका शव कंपनी में फंदे से लटका हुआ मिला है। अपर उपायुक्त ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।उन्होंने बताया कि थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के हबीबपुर गांव में रहने वाले फूलसन सिंह (24) ने बुधवार शाम को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया।

नोएडा के गांव में पड़ोसी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

नोएडा, (वीअ)। जनपद गौतमबुद्ध नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कथित बलात्कार की चार घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि थाना बीटा-2 क्षेत्र के एन्क्षर क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिक को उसके पड़ोस में रहने वाला राकेश किसी बहाने से बुधवार की रात अपने घर ले गया, जहां उसने लड़की के साथ मारपीट और बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 15-ए में एक उद्योगपति के घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका के साथ उसी घर में काम करने वाले रसोईये ने बलात्कार किया।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर सात से शुरू होगा मेट्रो का परिचालन

नोएडा, (वीअ)। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) कोविड-19 के दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए सात सितंबर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर मेट्रो का संचालन करेगा। इसके लिए एनएमआरसी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक श्रीमती ऋतु महेश्वरी ने बृहस्पतिवार को कहा कहा उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी नियमों का पालन करते हुए नोएडा-ग्रेनो के बीच एद्रा लाइन पर सात सितंबर से सुबह सात से 11 बजे तक और शाम को पांच से नौ बजे के बीच 15-15 मिनट के अंतराल में मेट्रो रेल का संचालन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रविवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तथा शाम 5 से 11 बजे के बीच मेट्रो का संचालन होगा।

मेरे मुवक्किल श्री चक्र पाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भगवान दास शर्मा निवासी सी-12, न्यू अशोक नगर नियर योग भारती पब्लिक स्कूल त्रिलोकपुरी, दिल्ली-110091 ने अपने पुत्र हरि ओम शर्मा व पुत्रवधू मिथ्लेश एवं पोत्रीगण परि को उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण और उनके द्वारा गाली-गलौच व लड़ाई झगड़ा के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करके अपने समस्त संबंध-विच्छेद कर लिए है अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त हरि ओम और उसकी पत्नी मिथ्लेश के साथ कोई लेन-देन करता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। उनके किसी भी कार्य/व लेन-देन के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नही होंगे।
मनोज त्यागी, अधिवक्ता, चै.नं. एफ-524, पांचवी मंजिल, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली.

Public at large is hereby informed that my client Shri. Naveen Kumar Malhotra S/o Kimti Lal Malhotra Add:- J-6/70, Rajouri Garden, New Delhi-110027 have severed all his relations with his son Mr. Sarthak Malhotra and disowned his from his movable and immovable properties. Any person dealing with Sarthak Malhotra shall be doing so at his/her/ their own risk and responsibilities and my clients shall not be responsible for their acts, deeds and misdeeds. **Sachin Dhall, Advocate, Off. Pocket H-1, House No. 109-110, Sector-11, Rohini, Delhi-110085.**

Be it known to all that my client Sh. Raju Verma S/o Sh. Ram Bali & Smt. Anita Verma W/o Sh. Raju Verma, both R/o H. No. 473, Gali No. D-12, Surender Colony, Part-I, Jharoda Majra, Delhi-110084 have severed their relations & disowned & disinherited their son Rohit Verma & his wife Smt. Riya Verma from their all movable and immovable properties due to their cruel & callous behavior towards my said clients. further my said clients shall not be responsible for any acts, deeds and things done by their said son and daughter-in-law & if any person deals with them in any manner, he/she shall be doing so at his/her own cost & risks. **Chandra Shekhar Azad, Advocate, Chamber No. C-183, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.**

My clients Mohd Saleem S/o Sh. Jamaluddin and Mst. Samina Begum W/o Mohd Saleem, both R/o H.No. 630, Gali No.11, Baratooti Chowk, Sadar Bazar, Delhi-110006 have instructed me to get issued a public notice to the fact that they have severed/broken off all kinds of relations with their son namely Mohd Suhail due to some unavoidable circumstances and they have absolutely no concern of any kind and they have disinherited his said son Mohd Suhail and the said son Mohd Suhail has absolutely no concern of any kind with my clients' business, goodwill or their moveable or immoveable properties as he has already left my clients' house and is now separately residing somewhere else. Any person dealing with him will doing so at his own responsibility and my above mentioned clients will not be responsible at all towards any act of his said son in future as they have already disinherited his son.
S. Hilal Nizami, Advocate, Ch. No. 367, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

मेयर एपेरल लिमिटेड

#412, चौथा तल, ओरिएंट वेस्टेक बिजनैस टॉवर, सैक्टर-34, खांडसा, गुरूग्राम-122004 (हरियाणा), भारत

CIN: L18101HR1993PLC032010

ई-मेल rks@meyerapparel.com www.meyerapparel.com

27वी वार्षिक सामान्य बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेयर एपेरल लिमिटेड की 27वी वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 को 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो 20 अगस्त, 2020 के नोटिस में दिए गए निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन करने के लिए है। वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट के साथ उक्त नोटिस उन सभी सदस्यों को जिनका ईमेल पता उपलब्ध है, उन्हें भेज दी गई है और यह कंपनी की वेबसाइट www.meyerapparel.comn के साथ एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर बुक्सए जीएम के उद्देश्य के लिए 17 ''सितंबर, 2020 से 24 ''सितंबर, 2020 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेंगे। यह आगे अधिसूचित किया गया है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से एजीएम में प्रस्तावित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मतों का प्रयोग कर सकते है : इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान 21 सितंबर, 2020 (सुबह 9:00 बजे) (IST) से शुरू होगा और 23 सितंबर, 2020 (शाम 5:00 बजे) (IST) पर समाप्त होगा। 23 सितंबर, 2020 को शाम 5:00 बजे से पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी और फिर सदस्य एजीएम के समय केवल ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान कर सकते है। मतदान के योग्य सदस्यों के निर्धारण की कट-ऑफ तारीख 16, सितंबर 2020 है।

अगर कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, लेकिन कट-ऑफ की तारीख से पहले या उससे पहले evoting@nsdl.co.in या तो तो/ rks@meyerapparel.com/ nitasha@meyerapparel.com/admin@skylinerta. com पर दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए ईमेल पते पर लिख सकता है। यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तारीख के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम में दूरस्थ ई वोटिंग या वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते है, लेकिन फिर से एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य एजीएम के नोटिस में निर्देशों को देख सकते है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े प्रश्नों शिकायतों के मामले में आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है, का उल्लेख कर सकते है या श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक पता- ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल, मुंबई-400013 से संपर्क कर सकते है या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें: 1800-222-990 या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें या श्री आरके शर्मा, सीएफ़ओ (CFO) और कंपनी सचिव को तो /rks@meyerapparel.com/nitasha @ meyerapparel.com पर लिखें।

कृते मेयर एपेरल लिमिटेड
हस्ता./-
(निताशा बख्शी)
एसोसिएट कंपनी सचिव
कृते आरके शर्मा, सीएफओ और कंपनी सचिव

दिनांक: 3 सितंबर, 2020
स्थान: गुरुग्राम (हरियाणा)

अंगुल एनर्जी लिमिटेड
(पूर्ववर्ती भूषण एनर्जी लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: भूतल, मीरा कॉरपोरेट्स सूइट्स, प्लॉट नं. 1 एवं 2, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065
फोन +91 11 3919 4000 फैक्स +91 11 4101 0050
वेबसाइट www.angulenergy.co.in ई-मेल ael@angulenergy.co.in
CIN: U40105DL2005PLC140748

सार्वजनिक सूचना-15वीं वार्षिक आम बैठक

यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 (संयुक्त रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए अंगुल एनर्जी लिमिटेड (पूर्ववर्ती भूषण एनर्जी लिमिटेड) (''कम्पनी'') की 15वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम/बैठक'') मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को अप. 3.00 बजे आईएसटी में दो माध्यमों विडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.angulenergy.co.in पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल हो सकते हैं और जिसका विवरण बैठक की सूचना में कम्पनी द्वारा दिया जाएगा। तदनुसार, कृपया नोट करें कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की 15वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108